बिहार सरकार

15/10/2022

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

जमाबंदी पंजी प्रति

भाग वर्तमान : 7 पृष्ठ संख्या : 901 जमाबन्दी संख्या : 901 कंप्यूटरीकृत जमाबन्दी संख्या : 212139900101952

जिला का नाम :	Patna	अनुमंडल नाम :	Danapur	अचंल का नाम :	Danapur	हलका का नाम :	पटना एम कारपोरेशन
मौजा का नाम :	जलालपुर	होल्डिंग संख्या :	00	तौजी संख्या :	00	थाना नंबर :	22

RICHA SINHA , पिता/बाप/अबू -DR. HIMANSHU
BHUSHAN PRASAD SINHA, जाति- अन्य

खाता सं०	प्लाट/खेसरा सं०	रकबा	चौहद्दी	परिवर्तन के लिए प्राधिकार	लगान	सेस
92	113	0 ए 13.7 डि 0 हे	पू०: प०: उ०: द०:	CASE NO 1031/1988-89	30	120
	कुल परिमान	0 ए 13.7 डि 0 हे				

अंतिम लगान का विवरण

तारीख	प्राप्ति पत्र सं०	साल से	साल तक	लागत बकाया
17-07-2018	0392284208	2004-2005	2018-2019	420
2021-08-03 09:52:29	03082021094607231320	2019-2020	2021-2022	60
2022-06-03 10:34:36	03062022102756403306	2022-2023	2022-2023	0

उपरोक्त जमाबंदी के विरुद्ध दाखिल ख़ारिज का विवरण

Mutation Cases Not Found !!

यह एक कम्प्युटर जनित प्रति है
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करे
प्लाट का नक्शा देखने के लिए प्लाट नंबर क्लिक करें|

INDIA NON JUDICIAL

७५० रु. Rs 750

सत्यमेव जयते

भारत

सात सौ पचास रुपये SEVEN HUNDRED & FIFTY RUPEES

[redacted]

11/3/87

२९४.७५

11-3-87

सही राजेश्वरी सिन्हा बकलम
हिन्दी की सही है। मजमून
पढ़ कर सुना समझा
गया। 11.3.87

१	निष्पादक	श्रीमती राजेश्वरी सिन्हा Shri Mati Ragishwari Sinha पत्नी श्री जगदीश प्रसाद सिंह निवासी शाहजहाँपुर डाकखाना लालगंज थाना लालगंज जिला वैशाली भारतीय नागरिक पेशा गृहणी तथा कृषि।
२	दावेदार	श्रीमती रिचा सिन्हा Shri Mati Richa Sinha पुत्री डा० हिमांशु भूषण

७५०-१-७५०
६०-१- ६०
५०-२-१००
२-१- २

[illegible]
सं० १६३११ — १०-३- ८७

श्रीमती राजेश्वरी सिन्हा पत्नी श्री जगदीश कु० सिंह
शाहजहाँपुर थाना व जिला वैशाली

११-३-८७

राजेश्वरी सिंह
जगदीश प्र० सिंह
शाहजहाँपुर
वैशाली वैशाली

राजेश्वरी सिन्हा
11.3.87

[illegible] 11.3.87

राजेश्वरी सिन्हा

हिमांशु शेखर प्रसाद सिन्हा

30/5/87

राजेश्वरी सिन्हा
30/5/87 11.3.87

हिमांशु शेखर प्रसाद सिंह
11.3.87

[illegible] 11.3.87

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

६० रु. — SIXTY RUPEES — 60 RS.

पेज २

प्रसाद सिन्हा जिवीत पोती (उक्त जगदीश प्रसाद सिंह) की मोक्ता पतिकाना श्री आनन्द शंकर शरण सिंह निवासी कल्याधाला थोकनायक टोली जिला नवादा भारतीय नागरिक पेशा गृहणी)

३	श्रेणी का विलेख	दानपत्र (बख्शिश नामा) Deed of Gift
४	मालियत	तालेमिनान मु० १०,०००.०० दस हजार रुपया मात्र
५	सम्पत्ति का विवरण	पूर्व पश्चिम भुजा उत्तर ६८-००" अड़सठ फीट, " " " दक्षिण ६३-००" तिरसठ फीट, उत्तर-दक्षिण " पूरब ५०-३" पचास फीट तीन इन्च, " " " पश्चिम ५२-००" बावन फीट की जिसका क्षेत्रफल लगभग ४०७० वर्गफीट

होता है कि जिसकी डिग्री (?) लगभग ५ ६-१२-१११०-५. या कठा सात धुर पन्द्रह धुरकी होता है एराजी मजरुआ इकियत काश्त रैयती कायमी व सैगनकबी की जिसकी मालगुजारी सालाना मु० ९.७५ आना है उसको शिकार हक कोल्लास्थ है जो है वार्ड मौजा जमालपुर

१६३९२ १०-३-६

श्रीमती राजेश्वरी [illegible]

[illegible]

पचास रुपया

भारत

INDIA

५०रु. 50Rs

FIFTY RUPEES

पेज 3

प्राना फुलवारी थाना दानापुर थाना नं० 22 —
(वाकुल) सब रजिस्ट्री दानापुर सदर रजिस्ट्री
को जिला पटना वतौजी नं० ५५१९ (पाँच
हजार पांच सौ उन्नीस) खाता नं० ५२ (बावन)
के जुज खसरा सर्वे नं० ११३ (एक सौ तेरह)
में चौहद्दी हस्व जैल है। पटना विकास
प्राधिकार क्षेत्र के बाहर है लेकिन
पटना मास्टर प्लान के बाहर है अपनी खास
कृषि भूमि है के जिसके कृषि भूमि होने का
शपथ पत्र सं० ११९५ को ११९६ —
दिनांक ११ — ३ — १९८७ है कार्यपालक
दण्डाधिकारी पटना द्वारा सम्बन्धित
दस्तावेज के साथ संलग्न है। बजामिन्दर
विद्या सकोना वजीर अंचलाधिकारी
मौजा दानापुर जि० पटना अमानती
२०५३)

२ प्रति रसीद [illegible]
11.3.87

Witness:- [illegible] Bakerganj, Patna
11.3.87

१६३९३ — १०-३- ⑥
√१२ —
श्रीमती राजेश्वरी सिन्हा

ह० (अनुपमा सिंह)

१५-११-३

पचास रुपया

भारत

INDIA

५०रु. FIFTY RUPEES 50Rs

पिरोज

उत्तर:- सुमित्रा देवी जौजे स्व० रामलखन प्रसाद राय पुनाईचक

दक्षिण:- श्री महानन्द राय

पूरब:- श्री डोंगा सिंह

पश्चिम:- नीज मोकिर खाता ३ आ जमीन [illegible] (हाल) जिसमें जानिब दक्षिण रास्ता का प्रयोजन है जिस रास्ता के द्वारा मोकिर आदि को दान की जानेवाले में आने जाने तथा सभी प्रकार के सवारियों के ले जाने आने आदि का अधिकार होगा और यही अधिकार मोकिर आदि के उत्तराधिकारियों को भी होगा।

11.3.87

मजमून

अन्दोज ... श्रमाय ... मोकिर ने मवाजी 112-53-54 ... तीन ... अक्षीराजी अन्द प्लॉट नं० 913 जिसकी किता ... न.५ ... हाल ... जरीए ...

१६३२८ १०-३-७
२१२
श्री मती राजेश्वरी लिम्बू

म.ग.३

दो रुपये   दो रुपये

सत्यमेव जयते

TWO RUPEES भारत TWO RUPEES

पर्चे ५

जवाब दरख्वास्त मालूमा नं. १४/८६

८२-१९९१ ई / ८२-१९९५ ई मौतालिक रजिस्ट्री जमीन

नं. १२-६१ बुक नं. १ जिल्द नं. १ पन्ना ३१०-३१६ निबन्धन कार्यालय दानापुर की

श्रीमत पुष्पा रानी वल्द श्री नितमल राम

निवासी नयाटोला मजुना दानापुर थाना दानापुर जिला पटना में चौहद्दी किमाप्य

और अजनबीव खरीदारी रजी खरीदी मजबूर का मौकिल कमाबिल खमीन के वहाँ नीयत खरीदार है मौजा मालिक मुत्तलिका कार्रवाई की दलील हुई और अपना नाम जमिन्दारी कार्यालय में दाखिल कराया है के जिसका जमाबन्दी नं० २०५ है। और लगान रसीद सालाना का अदाय करते आती है और रसीद बराबर मौकिल करती है।

अर्जे ज्यादे मौकिल आम्दा वस्ले दावा वही पोती मौकिल की है और मौकिल का आज्ञापालन को सेवा मुस्तहक किया करती

प्रति रजिस्टर्ड १९.३.८७

९६३१५/९२ — १०-३-१०

श्रीमती राजेश्वरी सिन्हा

पेज ६

है और आश्रित मोहिनी को पहुँचाया करती
है। और आगे और आश्रित पहुँचाने का
पुण्य कमाया करती है। मोहिनी मोहिनी
आलोट के सेवा सुश्रुषा व सद्व्यवहार
से प्रसन्न रहती है। हार्दिक अभिलाषा
मनोकामना थी पहुँ हुई कि अपने क्रय किये
हुए भूभाग प्लॉट नं. ११३ मजकूरा मेसर्स
एराजी मुनदर्ज खसरा नं. पूर्वोक्त हाज़ा
बनाम सोहबत मोहिनी आलोट। वसीका
हाज़ा दानकर्त्री द्वितीय मोहिनी आलोट
सेवा सुश्रुषा व सद्व्यवहार को फलीभूत
मोहिनी अपने इस अभिप्राय को मोहिनी
आलोट से जाहिर किया और मोहिनी
आलोट एराजी मुनदर्ज खसरा नं. पूर्वोक्त
हाज़ा के निस्बत दान लेना स्वीकार किया

इस वास्ते मोहिनी खुशी व रजामंदी से
अपने बहालात सेहत जात होशहवास
अक्ल व दुरुस्ती होश व हवास बिना
जबरन दबाव व डराव व धमकाव के
बिना किसी के अपने मर्जी मुताबिक
के व खुशी रजामंद को मुस्तफीद को सौंप

11.3

पात्रई(?) बिरादरी को अपने हितैषियों से परामर्श
किया [illegible] [illegible] [illegible] पुत्र [illegible]
जो मेरी पुत्री के बाद [illegible] [illegible]
गुजारा [illegible] से पाक और साफ है अतः
ममात के बाद मनकूला और गैर मनकूला
[illegible] [illegible] [illegible] उपरोक्त
मोहब्बत [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] श्रीमती [illegible] [illegible]
आफरीन के नाम [illegible] किया और [illegible]
और मौसिका आफरीन ने [illegible] [illegible]
स्वीकार किया और मौसिका आज से ही
मौसिका आफरीन को [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
मुतल्लिका [illegible] [illegible] मालिक [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] और
[illegible] [illegible] [illegible] मौसिका [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
यह सब [illegible] [illegible] [illegible] और [illegible]
तथा [illegible] मौसिका आफरीन के [illegible]
मौसिका आफरीन [illegible] [illegible] [illegible]
जहाँ जहाँ आवश्यक [illegible] [illegible]
[illegible] और [illegible] [illegible] [illegible]
चाहें अपने उपयोग और उपभोग [illegible]

11.3.87

11.3

फिकरे — और जिस प्रकार का मामला रहटीन(?)
को तमीलिका ने पाई है इसमें मोबिन(?)
मोमिन(?) के बाबत [illegible] मोकामीयान(?)
को कुछ भी आपत्ति नहीं था।
अलावा इसके अब मौकि(?) को अपने दावे
मुद्दा से किसी प्रकार का कुछ भी
सम्बन्ध नहीं है और न किसी प्रकार
का कुछ भी हक विरासत बाकी है अतः
लिपी व इनके मौकि(?) से मौकि(?) के
कुछ भी [illegible] बाबत मोकामीयान(?)
का [illegible] मानने के कारण नहीं है।

अंततः मौकि(?) [illegible] के [illegible] ने
अपनी मंजामीन(?) से अपने से इसके
अवगत होकर और सही पाकर यह
सि. [illegible] [illegible] ([illegible] [illegible]) [illegible]
[illegible] श्रीमती [illegible] सिंह मौकि(?) आदि
के [illegible] [illegible] के [illegible] पर [illegible]
और प्रमाण रहे इति।

तहरीर तारीख ११ (ग्यारह) माह मार्च सन १९८७ ई.

11.3.87 [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] सि. इ. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]